उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1597 /VII-1/2019/02–ख/18
देहरादून,दिनांकः 01 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप
(Letter of Intent)

जनपद उधमसिंहनगर, तहसील बाजपुर के ग्राम रतनपुरी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 0.970 है० भूमि में जमा आर०बी०एम० को हटाये जाने हेतु 06 माह की अवधि के लिए अनुज्ञा पत्र चाहने हेतु आवेदिका श्रीमती तृप्त कौर पत्नी स्व० श्री अमरजीत सिंह, निवासी ग्राम रतनपुरी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर के द्वारा निर्धारित प्रपत्र एम०एम० 8 पर जिलाधिकारी कार्यालय उधमसिंहनगर में आवेदन किया गया है। आवेदिका श्रीमती तृप्त कौर पत्नी स्व० श्री अमरजीत सिंह, निवासी फौजी कालोनी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर के आवेदन पत्र के क्रम में इस आशय पत्र (letter of Intent) के माध्यम से राज्य सरकार आवेदिका श्रीमती तृप्त कौर को जनपद उधमसिंहनगर, तहसील बाजपुर के ग्राम रतनपुरी के क्षेत्रान्तर्गत खाता सं० 6 के खसरा सं० 42/3 का रकवा कम कर नदी के पश्चिम दिशा में कुल रकवा 0.470 है० भूमि को समतल किये जाने हेतु उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) का 06 (छः) माह की अवधि का चुगान अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की मंशा रखती है। आवेदिका श्रीमती तृप्त कौर यदि उपखनिज का चुगान अनुज्ञा पत्र लेने हेतु सहमत हों तो शासनादेश संख्या 922/VII-1/11–रिट/2012, दिनांक 26 जुलाई, 2012 में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार EIA Notification, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर, पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें, ताकि उपखनिज का चुगान अनुज्ञा पत्र की औपचारिक स्वीकृति जारी की जा सके।

बृजेश कुमार सन्त
प्रभारी सचिव

संख्याः 1597 (1)/VII-1/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या–223/अनु०/उध०/भू०खनि०ई०/2018–19, दिनांक 29 मई, 2018 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवेदिका श्रीमती तृप्त कौर पत्नी स्व० श्री अमरजीत सिंह, निवासी ग्राम रतनपुरी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर से शासनादेश संख्या 922/VII-1/11–रिट/2012, दिनांक 26 जुलाई, 2012 में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार EIA Notification, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर, उपखनिज का चुगान अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की औपचारिक स्वीकृति हेतु सुविचारित प्रस्ताव स्पष्ट संस्तुति के साथ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. श्रीमती तृप्त कौर पत्नी स्व० श्री अमरजीत सिंह, निवासी फौजी कालोनी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर को इस आशय से प्रेषित कि EIA Notification, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव